न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय बांदा

उपस्थितिः अर्पिता साहू (उ0प्र0 न्यायिक सेवा JO Code यू.पी. 3624)

वाद सं0– 1192/नौ/2024

CNR No- UPBD040090642022

सरकार ..... अभियोजन

बनाम

बसंतलाल पुत्र स्व0 भाईलाल

निवासी ग्राम पडुई थाना कोतवाली नगर जिला बांदा उ0प्र0।

.....**अभियुक्त**

अ0सं0 25/2022

धारा–498ए, 323, 506 भा0दं0सं0

व धारा 4 डी.पी.एक्ट

थाना महिला थाना, जिला बांदा।

निर्णय

1. थाना महिला थाना की पुलिस द्वारा अभियुक्त **बसंतलाल पुत्र स्व0 भाईलाल** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 506 भ0दं0सं0 व धारा 4 डी.पी.एक्ट के तहत आरोपपत्र न्यायालय में विचारण हेतु संस्थित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिया का विवाह ग्राम–पडुई, थाना–कोतवाली नगर बाँदा जिला बाँदा में बसन्तलाल पुत्र भाईलाल वर्मा के साथ हिन्दू रीति रिवाज से लगभग 13 वर्ष पूर्व हुआ था और प्रार्थिया विदा होकर अपनी ससुराल गयी थी। प्रार्थिया का पति जुआड़ी व शराबी व्यक्ति है, जो आये दिन प्रार्थिया को मारता–पीटता रहता है और दबाव डालता है कि अपने पिता के यहाँ से रूपया लाओ। प्रार्थिया का पिता कई बार में लगभग 50,000/– रूपये दे चुका है। इसके पूर्व प्रार्थिया का पति प्रार्थिया को मारपीट कर घर से निकाल दिया था और भरण पोषण नही कर रहा था। प्रार्थिया ने धारा 125 जा0फौ0 का वाद न्यायालय मे दायर किया था और सम्भ्रान्त व्यक्तियो के कहने पर दिनांक 08.03.2016 को सुलह करके पुनः अपनी ससुराल चली गयी थी कुछ दिन तक बसन्तलाल ने ठीक से रखा इसके बाद पुनः प्रार्थिया के साथ मारपीट व रूपयो की मांग करने लगा। प्रार्थिया के पिता ने कई बार पंचायते लगाई किन्तु उसकी आदतों में सुधार नही हुआ। बसन्तलाल प्रार्थिया को लेकर मार्च के महीने में गेहूँ की कटाई करने ग्राम पचपहरा लिवाकर गया था जहाँ पर प्रार्थिया को मारपीट कर वहां से भाग आया था। तब प्रार्थिया ने अपने पिता बिहारीलाल को सन्देशा भेजा तब प्रार्थिया का पिता वहाँ पहुँचकर प्रार्थिया का इलाज कराया और प्रार्थिया को लेकर ग्राम मबई चला आया तब से प्रार्थिया अपने मायके मे बच्चो सहित बनी हुयी है। प्रार्थिया व बसन्तलाल के सन्सर्ग से चार बच्चे पैदा हुये है, जिससे पुत्री लक्ष्मी देवी, रोहित, सन्दीप, व कुलदीप है।

Digitally signed by Arpita Sahu
Date: 2025.05.21 11:52:56 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बसन्तलाल भी प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी देता है और बदमाशों को लेकर प्रार्थिया के मायके आता है। प्रार्थिया व प्रार्थिया के बच्चो की जान का सख्त खतरा बसन्तलाल से है जब से बसन्तलाल ने प्रार्थिया को मारपीट कर घर से निकाल दिया है तब से आज तक कोई खाना खर्चा नहीं दिया है। एक फर्जी नोटिस प्रार्थिया को भिजवाया है जिसमें झूठे लांछन प्रार्थिया पर लगाये है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थिया की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की क्रपा करें।

3. वादिया मुकदमा थाना महिला थाना में दिये गये प्रार्थनापत्र के आधार पर मामला अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 506 भ0दं0सं0 व धारा 4 डी.पी.एक्ट अंकित की गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक ने घटना की विवेचना प्रारम्भ की, गवाहों के बयान लिये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 323, 506 भ0दं0सं0 व धारा 4 डी.पी.एक्ट के तहत आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध धारा–498ए, 323, 506 भ0दं0सं0 व धारा 4 डी.पी.एक्ट के तहत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने इंकार किया। अतः विचारण अग्रसारित किया गया।

5. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में मौखिक साक्षी पी.डब्लू–01 के रूप में वादिया मुकदमा अंजू पुत्री बिहारीलाल को परीक्षित कराया है तथा अन्य किसी भी गवाह को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को बचावपक्ष के अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा–294 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया गया।

6. दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन द्वारा एफ.आई.आर की नकल, जी.डी. की नकल, नक्शा–नजरी तथा आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

7 अभियुक्त पर लगाये गये आरोप के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन द्वारा पी.डब्लू–01 श्रीमती अंजू पुत्री बिहारीलाल ने अपने बयान की **मुख्यपरीक्षा** में सशपथ बयान दिया है कि यह घटना आज से तीन साल पहले की है। मेरे पति बसन्तलाल ने मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। मेरी शादी लगभग सोलह–सत्रह साल पहले हिन्दू रीति रीवाज से हुई थी। मेरे पति जुआरी और शराबी हैं। मुझे मारता–पीटता है और दबाव डालता है कि अपने पिता के यहां से पचास हजार रुपये दहेज में लेकर आओ तभी मैं तुम्हे अपने पास रखूंगा नहीं तो मैं तुम्हे मारपीट कर घर से निकाल दूंगा। मैंने धरा 125 सी.आर.पी.सी. का वाद भरण–पोषण के लिए न्यायालय में दाखिल किया था, परतु संभ्रान्त व्यक्तियों के द्वारा सुलह समझौता होने के कारण अपने ससुराल चली गयी थी। कुछ महीनों बाद फिर से मेरे साथ मेरे पति ने मारपीट करता रहो और मुझे लेकर गेहूं की कटाई करने पर पचपहरा गांव गया और वहां पर भी मेरे साथ मारपीट की और मुझे वहां से भगा दिया। तब मैं अपने पिता के साथ मायके आ गई। मेरे व बसन्तलाल के संपर्क से मेरे चार बच्चे हैं। बसन्तलाल मुझे जान से मारने की धमकी देता है और बदमाशों को लेकर मेरे मायके आता है। उक्त के संबंध में मैंने एक टाईपशुदा तहरीर दिनांकित 29.06.2022 पुलिस अधीक्षक बांदा को दिया था, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत

हुआ था, जो पत्रावली में संलग्न है। मैं अपने हस्ताक्षर व घटना की तस्दीक करती हूं। पत्रावली में संलग्न तहरीर पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। उपरोक्त घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरे बयान लिए थे।

8 बचावपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो **प्रतिपरीक्षा** में वादिया द्वारा कथन किया गया है कि कथन किया है कि घटना की तहरीर मेरे पिता बिहारीलाल द्वारा वकील साहब से सलाह मशविरा करके लिखाई थी। जबकि मेरी सहमति नहीं थी। घटना के 15–20 दिन बाद अपने ससुराल अपने पति व बच्चों के बीच रहने लगी थी। मुझसे मेरे पति ने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की और न ही मुझे मारा पीटा और ना मुझे गाली गलौच दिया। मेरे पिता बिहालीलाल मेरे पति बसन्तलाल से ईर्शा रखते थे, जिस वजह से मुझे प्रार्थनापत्र देकर पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलवाए थे और मेरे द्वारा महिला थाना में बयान दिया था कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं, रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहती परन्तु फिर भी उन्होंने मेरे पिता के कहने पर रिपोर्ट लिख ली। मेरा पति बसन्तलाल बदमाशों को लेकर मायके कभी नहीं गया। मेरी अपने पति से सुलह हो गयी और मैं काफी समय से अपने पति के साथ अपनी ससुराल में रह रही हूं। मैं अपने पति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूं। साक्षी को उसका 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया। साक्षी ने अपने कथन से इंकार किया और कहा कि दरोगा जी को मैंने उपरोक्त बातें नहीं बतायी थी, यदि लिखे है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकती हूं। मेरे पति बसन्तलाल से कहा–सुनी हो गयी थी तो मैंने घरवालों के कहने पर मैंने अपने पति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। यह कहना गलत है कि आज मै न्यायालय में झूंठी गवाही दे रही हूं।

9 **अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0** अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों को गलत बताया तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया।

10. मैंने विद्वान अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

11. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत एक मात्र साक्षी साक्षी पी.डब्लू–01 अंजू पुत्री बिहारीलाल वादिया मुकदमा/पीड़िता द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। वादिया मुकदमा पी.डब्लू 01 द्वारा सुलह समझौता हो जाने तथा अपने पति व ससुराल में राजी खुशी रहने तथा सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करने का कथन किया गया है। अतः अभियोजन की ओर से उक्त साक्ष्य के संपोषक साक्ष्य के रूप में किसी अन्य साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे घटना में उपरोक्त अभियुक्त की संलिप्तता साबित हो सके। अतः संपोषक साक्ष्य के रूप में किसी अन्य साक्षी द्वारा घटना का समर्थन न किये जाने से अभियोजन कथानक पूर्णतया साबित नहीं होता है। प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त **बसंतलाल पुत्र स्व0 भाईलाल** के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त लगाये गये आरोपों से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

12 अभियुक्त बसंतलाल पुत्र स्व0 भाईलाल वाद सं0– 1192/नौ/2024 अ0सं0 25/2022 अन्तर्गत धारा–498ए, 323, 506 भा0दं0सं0 व धारा 4 डी.पी. एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13 धारा–437ए दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के अंतर्गत इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने की स्थिति में अभियुक्त की अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु उनके द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बंधपत्र व उनके जामिनदारों द्वारा निष्पादित प्रतिभूपत्र इस निर्णय की तिथि से छह माह की अवधि तक वैध रहेंगे।

दिनांक–21.05.2025

(अर्पिता साहू)
न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय
बांदा।
(J.O. Code UP3624)

14 यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायलय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–21.05.2025

(अर्पिता साहू)
न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय
बांदा।
(J.O. Code UP3624)

Typed: By
Ajay Nigam P.A.
Distt: Court Banda